न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1506–एक/99 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–8–99 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 49/91–92/निगरानी.

———

रामसिंह आत्मज अमरसिंह गेहलोत
निवासी जावरा कृषक ग्राम सुजावता
जिला रतलाम ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, रतलाम ——— अनावेदक

———

श्री अनिल व्यास, अधिवक्ता, आवेदक.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8-01-15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 49/91–92/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–8–99 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, जावरा जिला रतलाम द्वारा आवेदक को संहिता की धारा 239 के तहत बगीचा लगाने हेतु ग्राम सुजावता की भूमि खसरा नं. 284/1 रकबा 1.012 का पट्टा दिनांक 9–6–88 को दिया गया ।

नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के लगभग 3 वर्ष उपरांत राजस्व निरीक्षक द्वारा यह रिर्पोट प्रस्तुत किए जाने पर कि पट्टेदार ने पट्टे की भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु केया और पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है, कलेक्टर ने आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया जिसका उत्तर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया तदृपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 2.11.91 द्वारा नायब

तहसीलदार द्वारा जारी पट्टा निरस्त किया एवं पटवारी को भूमि शासकीय अंकित करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि संहिता की धारा 239 के तहत पट्टा देने का अधिकार तहसीलदार को है और यदि पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन होने तो पट्टा निरस्त करने का अधिकार तहसील को है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा वृक्षारोपण हेतु दी गई भूमि का उपयोग खेती के लिए किया गया है, यह मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की है । राजस्व निरीक्षक जावरा की रिर्पोट मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत है, जिसे सही मानने में तथा आवेदक द्वारा संहिता की धारा 239 की उपधारा 2 एवं 3 का उल्लंघन किया है यह निर्धारित करने में भी अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि राजस्व निरीक्षक की रिर्पोट एवं तहसीलदार के समक्ष पटवारी बाबूलाल द्वारा किए गए कथन में अंतर है । पटवारी बाबूलाल ने तहसीलदार के न्यायालय में जो कथन दिए हैं उसमें जामफल के 52 पौधे, यूकोलिप्टस के 5, आम के 6 और नीबू के 37 पौधे लगे होना कहा है, इससे यह प्रमाणित है कि राजस्व निरीक्षक की रिर्पोट असत्य है किंतु कलेक्टर ने इसकी जांच किए बिना पट्टा निरस्त करने में त्रुटि की है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदक ने कभी भी पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और वृक्षारोपण हेतु पट्टा दिए जाने के तत्काल पश्चात प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक ने वृक्षारोपण किये हैं । आवेदक द्वारा लगाए गए वृक्ष लगभग 25 वर्ष से भी अधिक समय के हो चुके हैं तथा सब वृक्षों पर फल आ रहे हैं । मौके पर आम, जामुन, पपीता, कटहल, सुरजना, नीबू, जामफल, केरी, करोंदे आदि के वृक्ष खड़े हुए हैं उन्हें प्रमाणित करने के लिए उन्होंने वर्ष 2004 में 16 फोटो प्रस्तुत किए थे जो अभिलेख पर हैं इन फोटों को ग्राम पंचायत, भूतेड़ा के सरपंच, ग्राम सुजावता के वसूली पटेल व पंच एवं पड़ोसी काश्तकारों ने प्रमाणित किया है । इससे यह प्रमाणित है कि आवेदक ने पट्टे की किसी शर्त

का उल्लंघन नहीं किया है और पट्टा प्राप्त होने के उपरांत पट्टे की भूमि पर वृक्षारोपण किया है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी अधिकारों का उपयोग 3 वर्ष उपरांत किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 2002 आर.एन. 362 (उच्च न्यायालय खंडपीठ), न्यायदृष्टांत 2011 आर.एन. 273 (उच्च न्यायालय खंडपीठ), 2010 आर.एन. 409 (उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) इन न्यायदृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ एवं पूर्णपीठ द्वारा 180 दिवस की अवधि को अयुक्तियुक्त अवधि माना गया है । इसी प्रकार उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2000 आर.एन. 161 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि स्वमेव निगरानी अधिकारों उपयोग कुछ मास के भीतर ही प्रयुक्त की जाना चाहिए । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के आदेशों को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । यह प्रकरण वृक्षारोपण के संबंध में दी गई आलोच्य भूमि का उपयोग न करने संबंधी राजस्व निरीक्षक की रिर्पोट पर प्रारंभ हुआ है । प्रकरण में पट्टा दिए जाने के लगभग 3 वर्ष उपरांत राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन आवेदक द्वारा किया गया है इस पर से जिलाध्यक्ष ने प्रकरण को पुनरीक्षण में लेकर पट्टा निरस्त किया और आलोच्य भूमि को शासकीय अंकित करने के आदेश दिए हैं । इसके विरूद्ध अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को अस्वीकार किया है । इस न्यायालय के समक्ष जो अभिलेख प्रस्तुत हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट एवं पटवारी द्वारा दिए गए कथनों में विरोधाभाष है । राजस्व निरीक्षक ने जहां भूमि का उपयोग कृषि कार्य करने हेतु कहा है वहीं पटवारी द्वारा तहसील न्यायालय में जो कथन किए गए हैं उसमें जामफल के 52 पौधे, यूकोलिप्टस के 5, आम के 6 और नीबू के 37 पौधे लगे होना बताया गया है किंतु इस संबंध में कोई जांच जिलाध्यक्ष ने नहीं की है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष मौके पर आम, जामुन, पपीता, कटहल, सुरजना, नीबू, जामफल, केरी, करोंदे आदि

के वृक्ष खड़े हुए हैं उन्हें प्रमाणित करने के लिए वर्ष 2004 में 16 फोटो प्रस्तुत किए गये हैं जो अभिलेख में हैं । इन फोटो को को ग्राम पंचायत, भूतेड़ा के सरपंच, ग्राम सुजावता के वसूली पटेल व पंच एवं पड़ोसी काश्तकारों ने प्रमाणित किया है । इससे आवेदक के इस तर्क को बल मिलता है कि उसके द्वारा पट्टे की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और पट्टा प्राप्त होने के उपरांत पट्टे की भूमि पर वृक्षारोपण किया है । उक्त तथ्यों को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है िकइस प्रकरण में अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के जो आदेश हैं वह न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप न होकर विधि के सुसंगत स्थपित सिद्धांतों से परे होने के कारण पुष्टि योग्य नहीं है ।

6/ इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग लगभग 3 वर्ष उपरांत किया गया है । प्रकरण के तथ्यों एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में 3 वर्ष की अवधि को इस प्रकरण में युक्तियुक्त अवधि नहीं माना जा सकता है । इस आधार पर भी अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–8–99 एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–11–91 अवैधानिक होने से निरस्त किए जाते हैं एवं तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 9–6–88 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर